**अभियोजन की स्वीकृति/समयबद्ध**

**संख्या–सी0एस0–1/सेक–2–पांच–15–7(11)/2015**

प्रेषक,

**अरविन्द नारायण मिश्र,**
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**1. महानिदेशक,**
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,**
**उ0प्र0, लखनऊ।**

**2. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,**
**चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,**
**उत्तर प्रदेश।**

**3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी**
**उत्तर प्रदेश।**

**4. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,**
**जिला पुरूष/महिला/संयुक्त**
**चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।**

**चिकित्सा अनुभाग–2** **लखनऊ : दिनांक 20 जनवरी, 2015**

विषयः–सतर्कता अधिष्ठान से करायी गयी जॉच में आरोपी लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति की कार्यवाही 01 माह में पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक सतर्कता जॉच के परिणाम स्वरूप आरोपी लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही को गतिशील एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सतर्कता विभाग के शासनादेश सं0–3287/39–4–90–42(373)/87, दिनांक 15.09.1990 में अभियोजन की विधिक पूर्व स्वीकृति प्रदान करने के प्रकरणों में यथोचित निर्णय लेने हेतु समय सीमा का निर्धारण करने एवं अन्य व्यवस्थाओं के कम में तत्कालीन मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत शासनादेश सं0–102(2)/39–4–93– 10(1)/93, दिनांक 5–3–1993 के प्रस्तर–1(2) में प्राविधान है कि "यदि जॉच एवं अन्वेषण के पश्चात सतर्कता विभाग में आपराधिक कृत्य का बनना पाया जाय और अभियोजन चलाये जाने का निर्णय लिया जाता है तो प्रशासकीय विभाग द्वारा अभियोजन की स्वीकृति की कार्यवाही एक माह में पूर्ण कर ली जाय। इस एक माह की अवधि में विधिक राय लेने की अवधि/समय भी सम्मिलित समझा जाय। अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा आरोप–पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया जाय।"

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सतर्कता विभाग द्वारा जिन प्रकरणों में अन्तर्ग्रस्त आरोपी लोक सेवकों के विरूद्ध आपराधिक कृत्य पाये जाने पर अभियोजन चलाये जाने की संस्तुतियां की गयी हों उनमें निर्धारित समय सीमा 01 माह के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति आदेश निर्गत

किया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार के प्रकरणों में किसी भी स्तर से शिथिलता एवं लापरवाही को शासन द्वारा अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा।

भवदीय,

(अरविन्द नारायण मिश्र)
सचिव।

संख्या–सी०एम०–1 (1)/सेक–2–पांच–14, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के अर्द्धशा0प0सं0–1584/39–4–2014–42(373)/87, दिनांक 29.08.2014 के संदर्भ में।
3. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश के साथ कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जी0सी0 कठेरिया)
संयुक्त सचिव।